संगठन की विशेषता, कार्यकलाप, कर्तव्य

कार्यकलाप विभाग का अधिदेश, समाज में गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी, अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लोगों , ऐसे बच्चों जिन्हें सुरक्षा एवं देखभाल की आवश्यकता है, बूढ़े व्यक्ति, विकलांगो,महिलाओं व बच्चों को तथा उपेक्षित लोगों को मुख्य धारा में लाना है । इसके अतिरिक्त विभाग का उददेश्य ,लक्षित समूहों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त करना व शिक्षा के क्षेत्रा मे उन्हें उन्नत करके उनमें आत्म विश्वास एवं आत्म सम्मान बढ़ाना है ।

विभाग को सवैधानिक अधिकार दिए गए हैं कि वो ऐसे कानून जो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकां व विकलांगों की सुरक्षा एवं

हितों के दृष्टिगत बनाए जाते हैं , का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ।

विभाग द्वारा निम्नलिखित नीतियों का कार्यान्वयन विभिन्न विभागों / स्टेकहोल्डरज/ संयोजकों के परस्पर तालमेल से किया जाता है :–

1. वृद्व व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति
2. बच्चों हेतु राष्ट्रीय नीति
3. पोषाहार हेतु राष्ट्रीय नीति
4. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति

उपरोक्त के दृष्टिगत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 को निम्नलिखित क्षेत्रा–विभिन्न योजनाओं ,कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु दिए गए है :– ि

❖ **अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गो एवं अल्पसंख्यको का कल्याण**

- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन जैसे अनुसूचित जाति हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता , अनुसूचित जाति उप योजना, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़के/लड़कियों के लिये छात्राावास निर्माण , अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यकों के लिये पूर्व परीक्षा अनुशिक्षण योजना , अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ाने के लिये योजना , अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा हेतु छात्रावृति योजना , डा0 अम्बेदकर फांऊंडेशन , मौलाना आजाद ऐजुकेशन फाऊंडेशन ।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का कार्यन्वयन ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 का कार्यान्वयन।

- राज्य स्तरीय योजनाओं का कार्यान्वयन जैसे गृह निर्माण अनुदान , फालो –अप कार्यक्रम , आशुलिपि एवं टंकण कला में प्रवीणता योजना , हरिजन बस्ती में वातावरण सुधार एवं पेयजल योजना , गद्दी/ गुज्जर आश्रम स्कूल , अत्याचार से पीड़ितों को राहत , अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम के माध्यम से आय सृजन कार्यक्रम , हि0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम , हि0प्र0 अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम ,

❖ **सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना**

- केन्द्रीय प्रायोजित योजना –राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना का कार्यान्वयन।
- राज्य प्रायोजित योजनाओं – वृद्धावस्था पैंशन , विकलांगो को राहत भत्ता , विधवा/परित्यक्ता पैंशन योजना।
- कुष्ट रोगी पुर्नवास भत्ता

❖ **विकलांग व्यक्तियों हेतु योजनाएं**

- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन जैसे विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग क्रय करने हेतु सहायता योजना , विकलांगो हेतु कार्यरत संस्थाओं को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजना , विकलांगो हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (राज्य स्त्रोात केन्द्र , जिला पुर्नवास केन्द्र) , जिला विकलांगता पुर्नवास केन्द्र , राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से आय सृजन कार्यक्रम , विकलांग व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार – असाधारण नियोक्ता , स्थापन अधिकारी , विकलांगता के क्षेत्रा में असाधारण कार्य हेतु , बाधा रहित वातावरण के निर्माण में असाधारण कार्य हेतु , सर्वोतम तकनीकी खोज बारे, विकलांगो हेतु राष्ट्रीय छात्रावृति , स्पोंटेड गार्डियनशिप ।
- राज्य स्तरीय योजनाओं का कार्यान्वयन जैसे विकलांगो हेतु पहचान पत्रा , विकलांगो हेतु छात्रावृति , अक्षम व्यक्तियों हेतु विवाह अनुदान , विकलांगो हेतु स्वयं रोजगार ।
- व्यक्ति जिनमें अक्षमताए है (समान अवसर ,अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 का कार्यान्यवन।
- स्वपराणयता , प्रमस्तिक अंगघात , मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 का कार्यान्वयन।
- व्यक्ति जिनमें अक्षमताए है (समान अवसर ,अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 61 के अनुसार प्रधान सचिव(सा0न्याय एवं अधि0) हि0प्र0 को आयुक्त(विकलांगता) नियुक्त किया गया है। व्यक्ति जिनमें अक्षमताए है (समान अवसर ,अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत आयुक्त को निम्न दायित्व सौंपे गए हैः–

(क) अक्षम व्यक्तियों हेतु चलायी जा रही योजनाओं /कार्यक्रमों हेतु राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(ख) राज्य सरकार द्वारा निर्गत की गई धनराशि का प्रबोधन करना।

(ग) अक्षम व्यक्त्यिों हेतु प्रदान की गए अधिकारों एवं सुविधाओं के संरक्षण बारे पग उठाना।

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित किये गए अन्तरालो पर अधिनियम के कार्यान्वयन बारे सरकार को रिर्पोट प्रस्तुत करना।

व्यक्ति जिनमें अक्षमताए है (समान अवसर ,अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 62 के अनुसार निम्न से सम्बन्धित शिकायतों बारे कार्यवाही हेतुः–

(क) अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों का हनन

(ख) अक्षम व्यक्त्यिों के कल्याण एवं अधिकारों के संरक्षण के लिये सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किये गए अथवा जारी कानून,नियम/अधिनियम आदेश, दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन न करना।

❖ **बच्चों एवं महिलाओं हेतु योजनाएं**

- राज्य प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन जैसे मुख्य मन्त्राी बाल उ़द्धार योजना , बालवाड़ी, परिवार एवं शिशु कल्याण , कैच केन्द्र , कल्याण विस्तार परियोजनाए , महिला मंडल , नारी सेवा सदन , मुख्य मन्त्राी कन्यादान योजना , महिलाओं को स्वयं रोजगार , महिलाओं हेतु जागरूकता कैम्प , महिला विकास निगम के माध्यम से आय सृजन कार्यक्रम ।
- किशोर न्याय अधिनियम 2000 का कार्यान्वयन एवं इसके अन्तर्गत संस्थानो का संचालन

❖ **वृद्धों के लिये योजनाएं**

- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन जैसे वृद्धों के लिये समेकित योजना , पंचायती राज संस्थाओं को सहायता/स्वयं सेवी संस्थाओं को वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिये सहायता/बहु उद्देश्य केन्द्र ।
- बच्चों , महिलाओं , विकलांगो , वृद्धों के लिये कार्यक्रमो हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान(राज्य प्रायोजित योजनाएं)
- माता–पिता एवं आश्रित भरण पोषण अधिनियम 2001 तथा नियम 2002।

❖ **अन्य योजनाएं**

- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन जैसे मादक द्रव्य निवारण हेतू योजना , सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रा में चलाये जा रहे कार्यक्रमो हेतु अनुदान योजना , राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम , अन्नपूर्णा योजना।
- हि0प्र0 भिक्षा निवारण अधिनियम 1979 , परीवीक्षा अधिनियम 1958– परीवीक्षा सेवाएं , तिब्बतीयन शरणार्थियों का पुर्नवास , दंगाा पीड़ितो को राहत/सहायता।